रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2016/अग्रहायण 3, 1938
No. 425] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2016/AGRAHAYANA 3, 1938

IndiaCode

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवंबर, 2016

सं. ए-10/178/2012-पीपीसी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनिमय, 1990 (1990 का 25) की धारा 11 की उपधारा (5) (जिसको अबसे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन विनियमों को अनुशासनात्मक कार्यवाही विनियमन, 2016 सेवा और प्राधिकारी की शर्तों हेतु प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विनियम कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रयोज्यता :** (1) यह नियम प्रसार भारती में 5 अक्तूबर, 2007 के बाद नियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे।

(2) प्रसार भारती में 5 अक्तूबर, 2007 के बाद और नियमों के आरंभ होने से पहले नियमित आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए पदधारी इन नियमों से कवर होंगे।

3. **सेवा शर्तें :** केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 सहित संबंधित ग्रेड के सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को शासित करते हुए नियम एवं विनियमन में आवश्यक संशोधन करते हुए, उपर्युक्त विनियमन (2) में संबंधित कर्मचारियों पर लागू होंगे।

4. **अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के लिए प्राधिकारी :** निम्नलिखित तालिका के कॉलम (3) में विर्निदिष्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी, उक्त तालिका के कॉलम (4) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी, और उसके कॉलम (5) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट समीक्षा प्राधिकारी, उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि के समक्ष विनिर्दिष्ट पदों के वर्गीकरण संबंधित प्रविष्टि के संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत उनकी शक्तियों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकारी होंगे।

तालिका

क्रं. सं.	पदों का वर्गीकरण	अनुशासनात्मक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	समीक्षा प्राधिकारी
1.	2.	3.	4.	5.
1	समूह 'क' /समूह 'क' के समकक्ष	प्रसार भारती बोर्ड के कार्यकारी सदस्य (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)	प्रसार भारती बोर्ड की समिति जिसमें अध्यक्ष, सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक), सदस्य होंगे।	प्रसार भारती बोर्ड
2	समूह 'ख' / समूह 'ख' के समकक्ष	आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती सचिवालय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (दूरदर्शन) या प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य (कार्मिक) जैसा भी मामला हो	प्रसार भारती बोर्ड के कार्यकारी सदस्य	प्रसार भारती बोर्ड की समिति जिसमें अध्यक्ष, सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक), सदस्य होंगे।
3	समूह 'ग'/ समूह 'ग' के समकक्ष	(i) आकाशवाणी स्टेशन और दूरदर्शन केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में सीनियर टाइम स्केल के स्तर के स्टेशन/केंद्र अध्यक्ष। (ii) प्रसार भारती की अन्य स्थापनाओं में तैनात कर्मचारियों के मामले में संबंधित महानिदेशालयों में सीनियर टाइम स्केल के स्तर के संबंधित अधिकारी।	(i) स्टेशन/केंद्र में तैनात कर्मचारियों के सबंध में क्षेत्रीय अपर महानिदेशक। (ii) प्रसार भारती की सभी अन्य स्थापनाओं के कर्मचारियों के मामले में संबंधित महा निदेशालयों के अपर महानिदेशक स्तर के संबंधित अधिकारी।	आकाशवाणी या दूरदर्शन में तैनात कर्मचारियों के संबंध में महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (दूरदर्शन)

5. **लंबित कार्यवाहियों पर इन नियमों का अनुप्रयोग :** यह नियम किसी भी अनुशासनात्मक, अपीलीय या समीक्षा कार्यवाहियों पर उस दिनांक से लागू होंगे, जब से यह विनियमन प्रवृत्त होंगे और तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।

संजीव कुमार जिंदल, अपर महानिदेशक

[विज्ञापन- III /4/असा./315/16(163)]

IndiaCode

PRASAR BHARATI

(Broadcasting Corporation of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2016

No. A-10/178/2012-PPC. –In exercise of the powers conferred by section 33 read with sub-section (5) of section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990) (hereinafter referred to as the "Act"), the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.–(1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Conditions of Service and Authorities for Disciplinary Proceedings Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability.–(1) These Rules shall apply to all employees recruited by Prasar Bharati after 5th October, 2007.

(2) The incumbents appointed to various posts on regular basis in Prasar Bharati before the commencements of these Rules and after 5th day of October, 2007 shall be deemed to be covered by these Rules.

3. Service Conditions.–The rules and regulations governing the service conditions of Government servants of the corresponding grades including Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall, mutatis mutandis, be applicable to the employees referred to in Regulation (2) above.

4. Authorities for disciplinary proceedings.– The Disciplinary Authority specified in column (3) of the table given below, the Appellate Authority specified in the corresponding entry in column (4) of the said table, and the Reviewing Authority specified in the corresponding entry in column (5) thereof shall be the authorities for exercising their respective powers under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 in respect of the classification of posts specified against the corresponding entries under column (2) of the said table.

TABLE

Sl. No.	**Classification of posts**	**Disciplinary authority**	**Appellate Authority**	**Reviewing Authority**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	Group A/ Equivalent to Group 'A'	Executive Member of the Prasar Bharati Board (CEO)	A Committee consisting of the Chairman, the Member (Finance) and Member (Personnel) of the Prasar Bharati Board.	Prasar Bharati Board
2.	Group B/ Equivalent to Group 'B'	Director General (Akashvani) or Director General (Doordarshan) or Member (Personnel) of the Prasar Bharati Board in respect of officers and employees posted in Akashvani, Doordarshan and Prasar Bharati Secretariat, as the case may be.	Executive Member of the Prasar Bharati Board.	A Committee consisting of the Chairman, the Member (Finance) and Member (Personnel) of the Prasar Bharati Board.
3.	Group C/ Equivalent to	(i) Station/Kendra Head of the level of Senior Time	(i) Regional Additional Director-General	Director General (Akashvani) or Director

	Group 'C'	Scale or above in respect of officials working in AIR stations/ DD Kendras. (ii) Concerned officer of the level of Senior Time Scale in the respective Directorate in case of employees posted in other establishments of Prasar Bharati.	concerned in case employee is posted at a Station/Kendra. (ii) Concerned officer of the level of Additional Director General in the respective Directorate in case of employees of all other establishments of Prasar Bharati.	General (Doordarshan) in respect of employees posted in Akashvani or Doordarshan, as the case may be.

5. **Applications of these Rules to pending proceedings:** These Rules shall be applicable to any disciplinary, appellate or review proceedings as on the date on which these Regulations come into force and shall be decided accordingly.

SANJEEV KUMAR JINDAL, Addl. Director General

[ADVT-III/4/Exty./315/16(163)]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.11.25 20:01:18 +05'30'